इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 फरवरी 2022—फाल्गुन 3, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022

क्र. एफ ए 3-03-2022-1-पांच (16).—यत:, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्र. 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

1. नियम 23 में, उपनियम (1) में, खण्ड (दो) में, विद्यमान परंतुक में पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए, तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

    ''परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा जिनका वार्षिक सकल विक्रय एक करोड़ रुपये से अधिक है, वर्ष 2020-2021 की पुनरीक्षित विवरणी 28 फरवरी, 2022 तक प्रस्तुत की जा सकेगी.''.

2. नियम 54 में, उपनियम (1) में, परंतुक में, खण्ड (बारह) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

    ''(तेरह) वर्ष 2020-21 से संबंधित संपरीक्षा रिपोर्ट किसी विलंब शुल्क के बिना 31 जनवरी, 2022 तक प्रस्तुत की जा सकेगी.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022

क्र. एफ ए 3-03-2022-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्र. एफ ए 3-03-2021-1-पांच (16), दिनांक 22 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd February 2022

No. F A 3-03-2022-1-V-(16).—Whereas, the State Government considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 shall be made at once without previous publication in Madhya Pradesh Gazette;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in rule 23, in sub-rule (1), in clause (ii), in the existing proviso, for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

"Provided further that the revised return pertaining to the year 2020-2021 can be furnished upto 28th February, 2022 by a dealer having annual turnover exceeding rupees one crore.".

(2) In rule 54, in sub-rule (1), in the proviso, after clause (XII), the following clause shall be added, naemly :—

"(XIII) the audit report pertaining to the year 2020-2021 can be furnished upto 31st January, 2022 without late fee.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.